

31 जनवरी-2015 की तिथि में अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविश कुमार तिवारी, जिला उपभोक्ता फोरम, पुरैणा (मि.प्र.)
2. वर्तमान धारित पद श्रीधुलोक 3. वर्तमान वेतन 15500 + 3600
4. अगली वेतनवृद्धि जुलाई-2015 5. वर्तमान पद का कुल वेतन 42962/-


उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, ***पट्टे, बंध, विरासत, गंठ या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्राय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)					
01	02	03	04	05	06	07	08
उवालिपर	भवन	-	10,00,000/-	पिता के नाम पर पिता-पुत्र (चार भाइयों के साथ)	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा	-	-
उवालिपर	-	प्लॉट	10,00,000/-	स्वयं के नाम पर	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा	-	-

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

\*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान तिथि के संदर्भ में समझम मूल्य बतलाया जाये।

\*\*\*इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में प्रवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



रविश कुमार तिवारी

श्रीधुलोक

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिनिधक फोरम,  
पुरैणा (मि.प्र.)